स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 265, दिनांकः 05–09–2024

उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती जैसी संगीन घटनायें करने वाला व जनपद सुलतानपुर में ज्वैलर्स के यहाँ दिन दहाड़े डकैती करने वाला मु0अ0सं0 578/2024 धारा 310(2)/311/317(3) बी0एन0एस0 में व कई अभियोगो में वांछित रूपये–1,00,000/– का पुरूस्कार घोषित अपराधी मंगेश यादव की एसटीएफ के साथ हुई साहसिक मुठभेङ में मृत्यु।

दिनांक–05–09–2024 की प्रातः जनपद सुलतानपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत एसटीएफ की टीम द्वारा कार्यवाही के दौरान हुयी साहसिक मुठभेड़ में दिनांक 28–08–2024 को जनपद सुलतानपुर में भरत ज्वैलर्स के यहां दिन दहाड़े डकैती करने वाले गिरोह का सदस्य व लूट, डकैती जैसी संगीन घटनायें करने वाला कुख्यात व दुर्दान्त अपराधी व कई अभियोगों में वांछित रूपये–1,00,000/– का पुरूस्कार घोषित अपराधी मंगेश यादव की एसटीएफ के साथ हुई साहसिक मुठभेङमें घायल हो गया जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी।

मृतक अभियुक्त का विवरण–

मंगेश यादव पुत्र राकेश यादव निवासी ग्राम अगरौरा, थाना बक्शा, जनपद जौनपुर।

बरामदगी–

1– 4.950 कि0ग्रा0 चाँदी के जेवरात
2– 01 अदद पिस्टल 32 बोर
3– 01 अदद तमंचा 315 बोर
4– 04 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर
5– 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
6– 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर,
7– 06 अदद खोखा कारतूस 32 बोर
8– 01 मोटरसाइकिल हीरो सुपर स्पलेण्डर

घटनास्थल का दिनांक/समय/स्थान–

दिनांक–05–09–2024, समय–03.15 बजे प्रातः। स्थान–ग्राम मिशिरपुर पुरैना थानाक्षेत्र कोतवाली देहात, जनपद सुलतानपुर।

दिनांक 28–08–2024 को जनपद सुलतानपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र में भारत ज्वैलर्स की दुकान मे हुई दुस्सहासिक डकैती हुई। इस डकैती के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 578/2024 धारा 310(2)/311/317(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत हुआ।

इस दुस्सहासिक डकैती के अनावरण हेतु एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/ टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ, लखनऊ व श्री विमल कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण मे एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि उपरोक्त घटना में संलिप्त कुख्यात अपराधी मंगेश यादव उपरोक्त अपने एक साथी के साथ सुलतानपुर से जौनपुर की तरफ मोटर साइकिल से जाने की

सूचना मुखबिर के माध्यम से प्राप्त हुई। इस सूचना पर श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ के नेतृत्व में निरीक्षक श्री राघवेन्द्र सिंह, निरीक्षक श्री महावीर सिंह, उपनिरीक्षक अतुल चतुर्वेदी, उप निरीक्षक प्रदीप सिंह, मुख्य आरक्षीगण नीरज पाण्डेय, सुशील सिंह, राम निवास शुक्ला, आरक्षी अमित त्रिपाठी व आरक्षी अमर श्रीवास्तव की टीम जो आपराधिक अभिसूचना संकलन हेतु जनपद सुलतानपुर में मौजूद थी, द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए मुखबिर के बताये गये स्थान पर घेराबन्दी की गयी तथा चैकिंग के दौरान टार्च की रोशनी में एक मोटर साइकिल काफी तेज गति से सुलतानपुर से बाईपास की तरफ आती दिखायी दी, जिसे देखकर मुखबिर ने बताया कि यही मंगेश व उसका साथी है और मुखबिर चला गया। मोटर साइकिल एसटीएफ टीम को खड़ा देख कर पहले ब्रेक मार कर धीरे हुई फिर तत्काल एसटीएफ कर्मियों को जान से मारने की नीयत से मोटर साइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने फायर कर दिया, जिससे एसटीएफ टीम वाले बाल–बाल बचे और खड़ी गाड़ियों का आड़ ले लिया। मोटर साइकिल सवार गाड़ी मोड़ कर निर्माणधीन रेलवे पुल की तरफ भागने लगे, जिसे रोकेने का प्रयास करते हुए एसटीएफ की टीम द्वारा भी तेजी से अपनी–अपनी गाड़ियों में बैठ कर पीछा किया गया। अपने आप को मिश्रपुर गांव के पास घिरता देखकर मोटर साइकिल सवार हड़बड़ी में मोटर साइकिल बाईं तरफ कच्चे रास्ते पर मोड़ दी, जिससे अनियंत्रित होकर मोटर साइकिल गिर गयी। बदमाशों द्वारा गिरने के उपरान्त भी एसटीएफ टीम पर फायर करते रहे, जिससे पुलिस उपाधीक्षक श्री धर्मेश कुमार शाही, निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह, निरीक्षक श्री महावीर सिंह, आरक्षी बृजेश सिंह व अमर श्रीवास्तव बाल–बाल बचे। एसटीएफ टीम द्वारा अपना परिचय देते हुए तेज आवाज मे बदमाशों को आत्मसर्मपण हेतु कहा गया परन्तु बदमाश फायरिंग करते रहे। बदमाशों की फायरिंग रेन्ज में होते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए निरीक्षक श्री राघवेन्द्र सिंह, निरीक्षक श्री महावीर सिंह, आरक्षी बृजेश सिंह , आरक्षी अमर सिंह बदमाशों की तरफ बढ़े तथा घेराबन्दी की गयी। अपने आप को घिरा देखकर एक बदमाश फायर करते हुए खेतों में अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया और दूसरा बदमाश अपनी पोजीशन बदल–बदल कर झुक कर मुड़ कर एसटीएफ टीम पर फायरिंग करता रहा। पुलिस बल के सदस्यों के जान जोखिम में देखकर उच्च कोटि व कर्तव्यपरायणता निभाते हुए स्वंय बदमाश के फायरिंग रेन्ज में होते हुये भी अपनी जान की परवाह न करते हुये अदम्य साहस व शौर्य का परिचय देते हुये अपनी–अपनी आड़ छोड़कर निरीक्षक श्री राघवेन्द्र सिंह, निरीक्षक श्री महावीर सिंह, आरक्षी बृजेश सिंह व आरक्षी अमर श्रीवास्तव द्वारा बदमाश की गिरफ्तारी की नियत से संयमित व नियत्रित होकर लगभग एक साथ संतुलित फायर किया गया। बदमाश की तरफ से फायर बन्द होने पर बदमाश के पास पहुंचे तो बदमाश घायल अवस्था में पड़ा था, जिसे मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सी0एच0सी0 भदाईयां उपचार हेतु भेजा गया, जहाँ डाक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक बदमाश की पहचान मंगेश यादव पुत्र राकेश यादव निवासी ग्राम अगरौरा, थाना बक्शा, जनपद जौनपुरके रूप में हुई। दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा।

मुठभेङ के दौरान एसटीएफ टीम द्वारा अदम्य साहस व शौर्य का प्रदर्शन किया गया तथा मा0 मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।

मृतक मंगेश यादव लूट, डकैती जैसी संगीन अपराध अपने साथियों के साथ करता था। इस अपराधी पर कई अभियोग भी पंजीकृत हैं। यह अपराधी मु0अ0सं0–76/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना करौंदीकला, जनपद सुलतानपुर में भी वांछित था तथा दिनांक 28–08–2024 को जनपद सुलतानपुर में ज्वैलर्स की दुकान मे हुई दुस्सहासिक डकैती के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 578/2024 धारा 310(2)/311/317(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत हुआ था, जिसमे यह वांछित चल रहा था, जिसपर इसकी गरफ्तारी हेतु अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ द्वारा पत्र संख्या–एलजेड–वाचक–01/2024 (पु0घो0अ0), दि0 04–09–2024 के माध्यम से रूपये–1,00,000/– का पुरूस्कार घोषित किया गया था।

उपरोक्त मंगेश यादव का आपराधिक इतिहास निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	102/2021	379/411/467/468/471 भादवि	करौंदीकला	सुलतानपुर
2	125/2021	34/392/411/413	करौंदीकला	सुलतानपुर
3	391/2022	379, 411, 120बी	लाइन बाजार	जौनपुर
4	540/2022	379, 411 भादवि	लाइन बाजार	जौनपुर
5	545/2022	411/413/414 भादवि	लाइन बाजार	जौनपुर
6	377/2022	379/411 भादवि	पट्टी	प्रतापगढ़
7	76/2022	3(1) गैगेंस्टर एक्ट	करौंदीकला	सुलतानपुर
8	348/2024	303(2) बीएनएस	कोतवाली	जौनपुर
9	578/2024	310(2)/311/317(3) बीएनएस	कोतवाली नगर	सुलतानपुर

इसके विरूद्ध अन्य अभियोगों के बारे में जानकारी की जा रही है। उपरोक्त मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात, जनपद सुलतानपुर पर मु0अ0सं0–365/2024 धारा 109/351(3)/352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा द्वारा की जायेगी।